राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–41/2021
रंजू देवी बनाम् उषा देवी।

यह वाद श्रीमती रंजू देवी, पति–श्री धर्मेंद्र राम, पता–ग्राम–नोनाडीह, ग्राम पंचायत पनवारी, प्रखण्ड+थाना–तरारी, जिला–भोजपुर द्वारा श्रीमती उषा देवी, पति–श्री ददन राम, पता–ग्राम–नोनाडीह, ग्राम पंचायत पनवारी, प्रखण्ड+थाना–तरारी, जिला–भोजपुर, वर्तमान मुखिया, पनवारी ग्राम पंचायत, प्रखण्ड–तरारी, जिला–भोजपुर के विरुद्व बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत मुखिया, पनवारी ग्राम पंचायत, प्रखण्ड–तरारी, जिला–भोजपुर के पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती रंजू देवी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता डॉ0 कमलदेव शर्मा, एवं श्री माया शंकर मिश्र द्वारा आयोग के समक्ष उनका पक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती उषा देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री वत्सल वर्मा एवं श्री राकेश कुमार सिन्हा द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री जयन्त जायसवाल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर एवं श्री शरफराज नवाज, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी का जाति प्रमाण–पत्र प्रखण्ड–तरारी से निर्गत है, जबकि नियमानुसार यह प्रतिवादी के मायके के प्रखण्ड–सहार से निर्गत होना चाहिए, अर्थात् इनका नामांकन–पत्र गलत है। इनके द्वारा निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर के विरूद्ध प्रतिवादी से मिली–भगत का आरोप भी लगाया गया। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जान–बूझकर संवीक्षा की अंतिम तिथि को अपराह्न 06:00 बजे प्रतिवादी के नामांकन–पत्र को वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया, ताकि कोई व्यक्ति इनके त्रुटिपूर्ण नामांकन के विरूद्ध आपत्ति दायर न कर सकें। आगे उनके द्वारा निर्वाचन समाप्ति के उपरांत संशोधित अभिलेख (जाति प्रमाण–पत्र) को अपलोड कर दिया गया। अपलोड किए जाने के समय एवं तारिख से प्रमाणित होता है कि निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर प्रतिवादी से मिले हुए थे।

आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री माया शंकर मिश्रा द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा नामांकन के साथ संलग्न जाति प्रमाण–पत्र आयोग एवं सरकार के निदेशों के अनुरूप नहीं था। अभ्यर्थी को नामांकन–पत्र के साथ पिता के निवास स्थल से प्राप्त

जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना था, अर्थात विवाहित महिलाओं के मामलें में मायके से प्राप्त जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना था, परन्तु प्रतिवादी द्वारा अपने ससुराल से प्राप्त जाति प्रमाण–पत्र को संलग्न किया गया। इस प्रकार इनका नामांकन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। **आयोग की पृच्छा के आलोक में उनके द्वारा बताया गया कि वें प्रतिवादी के जाति को चुनौती नहीं दे रहे है, बल्कि उनके गलत नामांकन को स्वीकार किए जाने की चुनौती दे रहे है,** उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नामांकन प्रत्रों को सभी अभिलेखों के साथ नामांकन के अगले तिथि को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करना था कि आमलोगों के लिए यह सहज उपलब्ध हो और यदि कोई चाहें तो संवीक्षा की तिथि को आपत्ति दर्ज कर सकें, परन्तु इस मामले में पी0डी0एफ0 ससमय अपलोड नहीं किया गया, बल्कि नामांकन दिनांक–29.09.2021 को दायर होने के उपरांत 04.10.2021 को 10:00 बजे अपराह्न में अपलोड किया गया, जिसमें कुल 11 (ग्यारह) पृष्ठ संलग्न थे। यह उल्लेखनीय है कि 04.10.2021 को इस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के संवीक्षा की अंतिम तिथि थी। उन्होनें आगे दावा किया कि जब वादी द्वारा 26.10.2021 को आयोग के समक्ष वाद दायर किया तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी के मिली–भगत से दिनांक–02.11.2021 को नया पी0डी0एफ0 अपलोड किया गया, जिसमें कुल 11 (ग्यारह) पृष्ठ है। अपलोड किए गए नये अभिलेखों में प्रतिवादी के मायके से प्राप्त दिए गए जाति प्रमाण–पत्र को अपलोड किया गया है, उनके द्वारा आगे आयोग को बताया गया कि उन्होनें अपने सम्पति के ब्यौरा को सही–सही दर्ज नहीं किया गया है। साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा एक कैवाला की प्रति आयोग को दिखाई गई।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवकता द्वारा वादी के आरोपों का खण्डन किया गया तथा आयोग को बताया गया कि नामांकन दिनांकः–29.09.2021 को किया गया और ठीक उसके एक दिन बाद सही जाति प्रमाण–पत्र निर्वाची पदाधिकारी को समर्पित कर दिया गया। आगे उनके द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1) के तहत आयोग के समक्ष लाने पर Maintainability पर प्रश्नचिन्ह् खड़ा किया गया। उनके द्वारा दावा किया गया कि संवीक्षा के समय कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई तथा उनके मुवक्किल का निर्वाचन जिस आरक्षण कोटि के लिए किया गया है, वें उसी आरक्षण कोटि से संबद्ध है। उनके जाति पर वादी के विद्वान अधिवक्ता भी सहमत है। चूँकि निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी द्वारा उनके नामांकन स्वीकार किया गया तथा उनके जाति के संबंध में कोई विवाद नहीं है, तो यह मामला सुनवाई हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के इस दावें का भी खण्डन क़िया गया कि श्रीमति उषा देवी द्वारा अपने सम्पति का विवरण गलत दर्ज किया गया है, उन्होनें दावा

किया कि वादी जिस भूखण्ड की सूचना छिपाने का दावा कर रहे है, उस भूखण्ड पर मकान बन चुका है, जिसकी जानकारी नामांकन–पत्र में दर्ज है।

उनके द्वारा आगे वादी के द्वारा संलग्न अभिलेख में पी0डी0एफ0 के अपलोड किए जाने के तिथि और समय को भी चुनौति दी गई तथा आयोग को बताया गया कि अंकित तिथि और समय WhatsApp पर सूचना आदान–प्रदान करने का समय है, न कि अपलोड किए जाने का समय है।

अंत में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः दावा किया गया कि वादी के एक नहीं दो घर है और उनके द्वारा सम्पति का विवरण छिपाया गया है।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–188/जि0पं0, दिनांक–19.01.2022, पत्रांक–744/जि0पं0, दिनांक–20.03.2023, पत्रांक–1477/जि0पं0, दिनांक–29.05.2023 तथा पत्रांक–1210/जि0पं0, दिनांक–21.05.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन (पत्रांक–888, दिनांक–01.12.2022) में जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है किः–

''राज्य निर्वाचन आयोग का वाद संख्या–41/2021, रंजू देवी बनाम् उषा देवी की सुनवाई के क्रम में आयोग द्वारा दिए गए मौखिक निदेश के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय का पत्रांक–1425/जि0पं0, दिनांक–24.05.2023 द्वारा संदर्भित मामले की जाँच कर मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, पीरो को निदेशित किया गया था।

उक्त के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, पीरो द्वारा सभी कागजातों का स्वयं जाँच कर अपने पत्रांक–261/गो0, दिनांक–25.05.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्रीमती उषा देवी द्वारा नामांकन के दौरान नामांकन–पत्र दिनांक–29.09.2021 को जमा किया गया था, जिसमें तरारी अंचल से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया था एवं आयोग के पोर्टल पर नामांकन–पत्र की प्रविष्टि दिनांक–29.09.2021 को ही कर दी गयी थी। श्रीमती उषा देवी द्वारा अपने मायके का पता अंकित सहार अंचल से दिनांक– 30.09.2021 को निर्गत जाति प्रमाण–पत्र दिनांक–01.10.2021 को निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया था। चूँकि संवीक्षा की तिथि–04.10.2021 के पूर्व दिनांक–01.10.2021 को उषा देवी के द्वारा अपने मायके का जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया गया था, जिसके कारण उषा देवी का नामांकन–पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया।''

पुनः अंतिम जाँच प्रतिवेदन में जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :–

"उषा देवी द्वारा दिनांक–01.10.2021 को सहार अंचल से निर्गत अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/6079278, दिनांक–30.09.2021 जमा किया गया था। दिनांक–01.10.2021 को मायके का जाति प्रमाण–पत्र प्राप्ति के संबंध में संधारित पंजी में प्रविष्टि दर्ज है।

परन्तु उषा देवी का प्रमाण–पत्र दिनांक–02.11.2021 को विलम्ब से क्यों अपलोड किया गया इस संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी, पीरो द्वारा कोई साक्ष्य नहीं पाये जाने का उल्लेख अपने जाँच प्रतिवेदन में किया है।"

6. आयोग द्वारा अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, भोजपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन एवं जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण श्रीमती रंजू देवी का यह दावा कि प्रतिवादी श्रीमती उषा देवी वर्तमान मुखिया, पनवारी पंचायत, प्रखण्ड–तरारी, भोजपुर द्वारा नामांकन–पत्र के साथ ससुराल से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र को संलग्न किया गया था, जबकि सरकार के परिपत्र एवं आयोग के निदेशानुसार आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु विवाहित महिलाओं को नैहर(पिता के निवास स्थल) से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र को संलग्न किया जाना अनिवार्य था।"

आयोग वादी के इस तर्क से सहमत है कि जाति प्रमाण–पत्र विवाहित महिला के मामले में भी उसके पिता के गृह स्थान से निर्गत होना चाहिए, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक–673, दिनांक–08.03.2021 की कंडिका–9 में वर्णित है किः–

" (9) जाति प्रमाण–पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएगेंः–
आवेदक/आवेदिका के पिता/पूर्वज का–
(9.1) राजस्व अभिलेख (यथा खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि)।

(9.2) कंडिका–(9.1) में उल्लिखित अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन को भी यथा स्थिति यथा समय जाति प्रमाण–पत्र हेतु आधार बनाया जा सकता है।"

स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण–पत्र उसके पिता/पूर्वजों के गृह स्थान से निर्गत होना चाहिए, ताकि कंडिका–9.1 में वर्णित अभिलेखीय साक्ष्यों अथवा कंडिका–9.2 में स्थानीय सामाजिक पहचान को स्थापित कर सही जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकें। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी द्वारा निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण–पत्र का प्रयोग नामांकन के समय किया गया है। साथ ही साथ तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी से मिली–भगत कर सहार(अपने मायके) से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र को अभिलेखों में शामिल करा लिया गया है। तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी यह Beyond iota of doubt प्रमाणित करने में विफल रहे कि प्रतिवादी द्वारा सही जाति प्रमाण–पत्र संवीक्षा के तिथि के पूर्व जमा करा दिया गया था। इसका यह प्रमाण यह भी है कि उस पंचायत के सभी मुखिया प्रत्याशियों का अभिलेख संवीक्षा के पूर्व अपलोडेड था, जबकि प्रतिवादी का अभिलेख(नामांकन–पत्र) दिनांक–02.11.2021 के अपलोड किया गया है, जो कि आयोग के "सर्वर" में तिथि और समय के साथ "रेकॉर्डेड" है।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि नामांकन के समय प्रतिवादी द्वारा त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण जमा किया गया था, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि वादी द्वारा तत्समय संवीक्षा के दौरान कोई आपत्ति दायर नहीं की गयी थी। यदि उनके द्वारा आपत्ति दायर की गयी होती, तो संभवतः प्रतिवादी द्वारा उस समय पर सही प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया होता, क्योंकि उनके पास संवीक्षा के तिथि के पूर्व वैध/सही जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध था।

यह भी स्पष्ट है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथासंशोधित) की धारा–139(घ)(1) के तहत आच्छादित मामले की सुनवाई एवं उस पर निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकार धारा–137 के तहत यथा विहित है, जो कि विचाराधीन मामले हेतु संबंधित मुंसिफ न्यायालय है।

आयोग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले योग्यता/अयोग्यता से संबंधित बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 एवं धारा–136 का अवलोकन किया गया तथा वाद के तथ्यों के आधार पर विचार किया गया, तो यह पाया गया कि श्रीमती उषा देवी संवीक्षा की प्रथम तिथि को बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 के परन्तुक के अनुसार निर्धारित आरक्षण के लाभ हेतु अर्हत्ता/योग्यता का धारण करती थी, क्योंकि यह Admitted Fact है कि श्रीमती उषा देवी की जाति "दुसाध, धारी, धारही"(अनुसूचित जाति)

पर कोई विवाद नहीं है। साथ ही साथ नामांकन एवं संवीक्षा की तिथि को उनके पास पूर्व से निर्गत (दिनांक–30.09.2021) त्रुटिहीन एवं वैध जाति प्रमाण–पत्र–BCCCO/2021/6079278, दिनांक–30.09.2021 उपलब्ध था, अर्थात प्रतिवादी श्रीमती उषा देवी के पास बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 में निर्धारित योग्यता को प्रमाणित करने हेतु एक वैध दस्तावेज/प्रमाण–पत्र उपलब्ध था, जिसे वह दावा–आपत्ति के दौरान प्रस्तुत कर सकती थी।

यह भी प्रमाणित है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी, तरारी द्वारा सरकार के परिपत्र/संकल्प के विरूद्ध अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए, जाति प्रमाण–पत्र सख्या–BCCCO/2021/1201386, दिनांक–14.03.2021 को तरारी अंचल कार्यालय से निर्गत किया गया है।

उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती उषा देवी के द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथासंशोधित) की धारा–135 के तहत योग्यता धारण करती है। अतएव श्रीमती उषा देवी को मुखिया, पनवारी पंचायत, प्रखण्ड–तरारी, जिला–भोजपुर के पद से पदमुक्त करने की माँग को खारिज किया जाता है।

(ख) जिला पदाधिकारी, भोजपुर तत्कालीन अंचलाधिकारी, तरारी एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी जिला–पटना के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई क्रमशः इनसे संबंधित कंडिका–A में वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए प्रारंभ करने हेतु इनके पैतृक विभाग को साक्ष्य सहित आरोप–पत्र गठित करते हुये प्रपत्र "क" उपलब्ध करायेगें।

(ग) तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर द्वारा नामांकन–पत्र को स्वीकार करने एवं इनके संधारण तथा आयोग के निदेशानुसार इन्हें पारदर्शिता हेतु आयोग के Website पर ससमय अपलोड करने में विफल रहे। उनके इस गलती के कारण वादी मुंसिफ न्यायालय में त्रुटिपूर्ण अभिलेखों के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के विरूद्ध चुनाव याचिका लाने से वंचित रह गये। इस बात के प्राथमिक साक्ष्य है कि तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर द्वारा अभिलेखो का पृष्ठांकन जान–बुझकर नहीं किया गया, ताकि बाद में इनके साथ छेड़–छाड़ किया जा सके। सुनवाई के क्रम में उपलब्ध कराये गये, अभिलेखों से यह प्रमाणित हुआ है कि प्रतिवादी का सही जाति प्रमाण–पत्र वाद/परिवाद दायर करने के उपरांत अभिलेखों में समाहित कर लिया गया है।

तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर का उक्त कृत्य निर्वाची पदाधिकारी हेतु निर्धारित न्यूनतम ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के अभाव का प्रमाण है। अतः संविधान के अनुच्छेद–243K(1)–सह–पठित बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–123(1) के तहत प्राप्त शक्तियों के अधीन भविष्य में होने वाले पंचायत एवं नगरपालिका निर्वाचनों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन निष्पादित कराने के निमित

तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर, श्री अशोक कुमार जिज्ञासु को सभी निर्वाचन कार्यों में भाग लेने से आदेश निर्गत की तिथि से अगले 10 वर्षों तक प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी,भोजपुर को आदेश दिया जाता है कि तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर, श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरूद्ध निर्वाची पदाधिकारी के दायित्वों को निष्पक्ष एवं ईमानदारीपूर्वक नहीं निभाने तथा एक पक्ष को लाभ पहुँचाने हेतु अभिलेखों में हेर–फेर करने के प्रमाणित आरोपों में विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अविलम्ब आरोप प्रपत्र–''क'' का गठन कर इनके पैतृक विभाग को प्रेषित करते हुये, इसकी एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध करायी जाये।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
05.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
05.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–41/2021 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–41/2021 2571 पटना, दिनांक– 5/6/25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **भोजपुर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी **भोजपुर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **भोजपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

05/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी